

Dr. Mahadeva Prasad: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of article 31)

श्री मधु लिमये : (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।”

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of article 16)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।”

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of articles 22, 32 and omission of article 359)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।”

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of articles 83 and 172)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।”

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।